यूआईडी
के विरुद्ध अभियान (द्वारा इंसाफ) की ओर से
जनहित में प्रकाशित

124/6 कटवारिया सराय नई दिल्ली–16
टेलीफैक्स : 26517814 ई–मेल : insaf@vsnl.com
वेब : www.insafindia.org

यूआईडी
नागरिकों की निजता में हस्तक्षेप व निगरानी के विरुद्ध अभियान

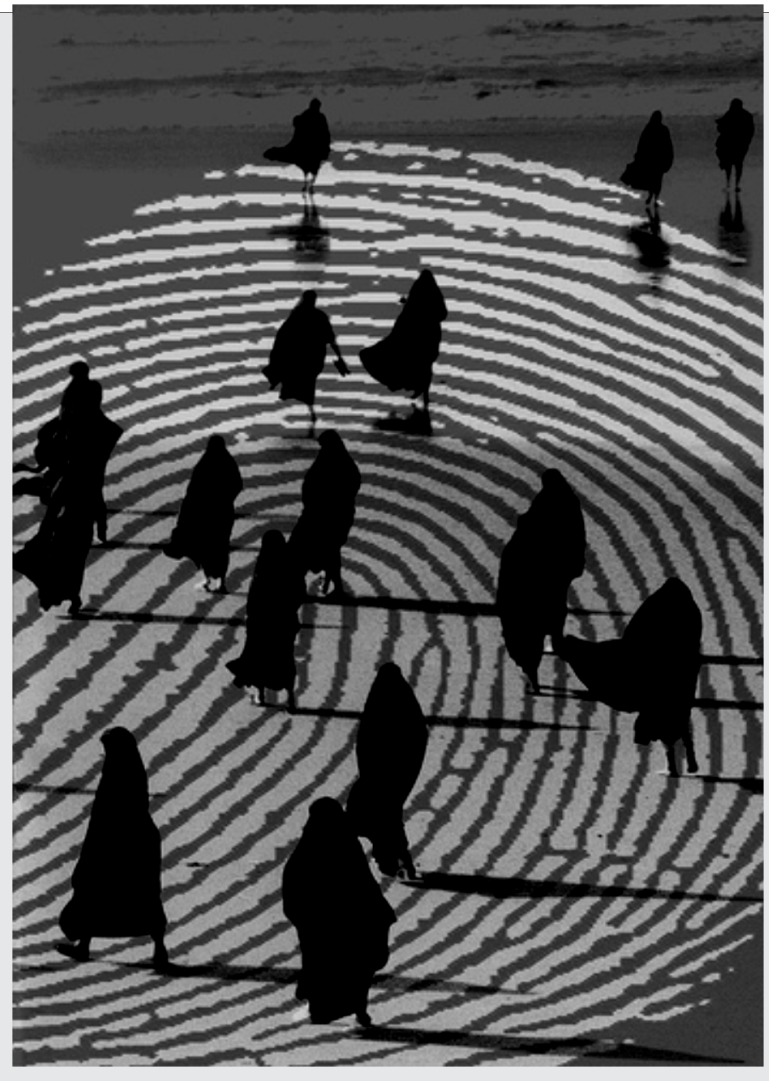

15 अगस्त 2010

यूआईडी

नागरिकों की निजता में हस्तक्षेप व निगरानी
के विरुद्ध अभियान

15 अगस्त 2010

यूआईडी
के विरुद्ध अभियान (द्वारा इंसाफ)
124/6 कटवारिया सराय नई दिल्ली–16
टेलीफैक्स : 26517814 ई–मेल : **insaf@vsnl.com**
वेब : **www.insafindia.org**
की ओर से
जनहित में प्रकाशित

केवल सीमित वितरण के लिए (बिक्री के लिए नहीं)

15 अगस्त, 2010

मुद्रण : डिजाइन एण्ड डाइमेनशन्स, नई दिल्ली (9810685122)

निजी,
निजी ही होता है

उषा रामनाथन, इंडियन एक्सप्रेस

हवाओं में ऐसी योजनाओं की चर्चा आम है जिससे राज्य और उसकी एजेंसियां देश के प्रत्येक निवासी की पहचान करने और वे क्या कर रहे हैं यह पता लगा पाने समर्थ हो जाएंगी। सन 2011 की जनगणना के साथ गृह मंत्रालय द्वारा एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाएगा और यह परियोजना अपने प्रायोगिक चरण में है। अब एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक का एक डेटाबेस बनाया जाएगा और हम सभी को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। अब तक ली गई तमाम परियोजनाओं से आखिर यह कवायद कैसे अलग है?

सर्वप्रथम, नीयत यह है कि सभी को एक विशिष्ट पहचान संख्या मुहैया कराई जाए, जिसमें नवजात भी शमिल हो। राज्य के पास हर व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हर आंकड़ा होगा; और उसके पार भी, क्योंकि मृत्यु के बाद यूआईडी नष्ट नहीं हो जाता, महज निष्क्रिय हो जाता है। संख्याएं इस तरह से बनाई जाएंगी कि आने वाले सौ–दो सौ साल तक इनमें कोई दुहराव नहीं होगा।

यूआईडीएआई ने अपने कार्यकारी पर्चे में बताया है कि इसमें पंजीकरण अनिवार्य तो नहीं होगा, गोया व्यवहार में यह स्वैच्छिक भी नहीं होगा। जो

'रजिस्ट्रार' अथवा पंजीयक लोगों का पंजीकरण डेटाबेस में करेंगे, वे निजी ऑपरेटर और सरकारी एजेंसियां दोनों होंगे और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे उन्हीं लोगों का पंजीकरण करें जिनकी इसमें दिलचस्पी हो। कुछ समय के भीतर ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि जिनके पास यूआईडी होगी, वे ही सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सारा प्रयास इसी बात के लिए है।

यूआईडी का नागरिकता से कोई लेना–देना नहीं है। यूआईडी डेटाबेस में दर्ज सूचनाएं बुनियादी होंगी जो सभी निवासियों को कवर करेंगीः जैसे उनके नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थल, लिंग, माता–पिता के नाम और उनकी यूआईडी, पता, मृत्यु की तारीख, तस्वीर और उंगलियों के निशान। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि यूआईडी सिर्फ एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों की पहचान के लिए होगा।

अपने आप में इसे देखें तो यह एक पावन कार्य लग सकता है।

लेकिन ऐसी दो चीजें हैं जो इस पूरी कवायद से इसकी मासूमियत को छीन लेती हैं। पहली चीज है 'कनवर्जेंस' यानी सूचनाओं का एकीकृत कर दिया जाना। फिलहाल तमाम किस्म की सूचनाएं छोटे–छोटे टुकड़ों में उपलब्ध हैं। हम तमाम किस्म की एजेंसियों को अपने बारे में सूचनाएं मुहैया कराते हैं; लेकिन उतनी ही जितनी उनके काम के लिए पर्याप्त होती हैं। पासपोर्ट एजेंसियों को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि आपके कितने बैंक खाते हैं या आप कार चलाते हैं या नहीं। टेलीफोन कंपनी को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि आपने अपने घर का बीमा कैसे कराया हुआ है। पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी यात्राएं करते हैं, जब तक कि आप किसी भी तरह से संदिग्ध न हों। एक ऐसी दुनिया में जहां हम तमाम कारणों से अपने बारे में और अपने स्थल के बारे में सूचनाएं देते हों, ये ऐसे तमाम कारण भी हैं कि कुछ हद तक निजता बची रहती है। जिस सहजता से तकनीक ने निजी की अवधारणा को फैला दिया है, उसे और फैलाने के बजाय सहज ले जाना ही जरूरी है। इसके ठीक उलट यसूआईडी इन तमाम सूचनाओं के टुकड़ों के बीच एक सेतु का काम करेगा और एक व्यक्ति के पास से इस बात का नियंत्रण छीन लिया जाएगा कि वह किससे क्या सूचना साझा करना चाहता है।

यह निजता, गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों को पूरी तरह बदलने का एक तरीका है। इसके संकेत मिल चुके हैं कि यह एकीकरण कैसे काम करेगा। उन रिपोर्टों को देखें जिनमें अपोलो अस्पताल ने यूआईडीएआई के माध्यम से स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रबंधन की पेशकश की है। इसने हेल्थ हाईवे नामक एक कंपनी में पहले ही निवेश कर डाला है जो डॉक्टरों, अस्पतालों और फार्मेसी को आपस में जोड़ती है और ये आपस में एक–दूसरे के साथ संवाद कर के मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड जान सकेंगे। अगस्त 2009 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर दी थी कि अपोलो अस्पताल ने यूआईडीएआई और ज्ञान आयोग को लिखा था कि यूआईडी संख्याओं क उन लोगों के स्वास्थ्य प्रोफाइल से जोड़ा जाए जिन्हें ये आईडी दी जाएंगी और उसने इनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रबंधन की पेशकश की थी। अब 'सुरक्षा' और 'निजता' जैसे शब्दों पर खतरा मंडरा रहा है, जहां प्रौद्योगिकीय संभावनाएं तमाम पारंपरिक सरोकारों को विस्थापित कर रही हैं।

दूसरी चिंता है 'ट्रैकिंग' यानी व्यक्ति विशेष का पीछा करने की। एक बार लोगों को यूआईडी दे दिए जाने और सूचनाओं के एकीकरण के बाद लोगों की गतिविधियों और उनके आने–जाने पर नजर रखी जा सकेगी क्योंकि हो सकता है कि पीडीएस की दुकान से चावल खरीदने से लेकर बैंक से वेतन आहरित करने और यात्राएं करने तक में इस संख्या की जरूरत पड़े। लोगों द्वारा राज्य पर नजर रखे जाने तथा राज्य और बाजार द्वारा लोगों पर नजर रखे जाने के बीच एक फर्क है। यानी यूआईडी को जिस तरह पेश किया जा रहा है, वह वैसा है नहीं; यह कोई भलाई का काम नहीं है, महज संख्या नहीं है जो उन लोगों को दे दी जाएगी जिन्हें राज्य अब तक गिनता नहीं रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि यूआईडीएआई का कार्यकारी पर्चा शुरुआत में दावा करता है कि यूआईडी गरीबों को एक पहचान दिला कर सेवाओं और अनुइानों तक पहुंच बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा, हालांकि आगे जल्द ही यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि 'यूआईडी संख्या सिर्फ पहचान की गारंटी देगी, अधिकारों, लाभों और प्राप्तियों की नहीं।' जाहिर है कि गरीब आदमी अपने अधिकार इसलिए नहीं हासिल कर पाता क्योंकि वह कमजोर है, अक्षम है, उसे सहयोग नहीं मिलता, सहानुभूति या अधिकार नहीं मिलते और उन्हें आपराधिक माना जाता है, इसके अलावा व्यवस्था में जारी भ्रष्टाचार और रिसाव उसे इन्हें हासिल करने से रोकते हैं। लिहाजा

इतनी जल्दी अपने शब्द वापस लेना समझदारी ही थी।

दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ, वैसा करने में प्रौद्योगिकीय उत्साह के चलते निजी जानकारियों के दुरुपयोग से सुरक्षा और निजता के महत्व को नजर. अंदाज किया जा रहा है।

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यूआईडीएआई के पर्चे में कहीं भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं, प्रोफाइलिंग और सर्वेलांस की इसकी संभावनाओं पर कोई बात नहीं की गई है। इसके बावजूद यूआईडी कोई स्वतंत्र परियोजना नहीं है। नैटग्रिड यानी राष्ट्रीय ग्रिड, जिसमें यूआईडी अपना योगदान देगा, समूची आबादी पर गिाह रखने के लिए है। और अब तो गृह मंत्री डीएनए बैंक तक की बात कर रहे हैं।

ऐसा लगता है कि व्यवस्थागत गड़बड़ियां, बेहद गरीबी में जी रहे लोगों तक पहुंचने में हमारी अक्षमता, एक डेटाबेस पर हमारी निर्विकल्प निर्भरता और दूसरों द्वारा हमारी सूचनाएं हासिल कर लिए जाने की आशंका आदि उस परिदृश्य को और खतरनाक बनाती हैं जिन्हें हमने बगैर किसी बहस के चुनौती दिए बिना चुपचाप स्वीकार कर लिया है। एक बार यह स्थिति बन जाएगी, तो यहां से लौटने का कोई रास्ता नही होगा।

लेखिका स्वतंत्र विधि शोधार्थी हैं।

Vol:26 Iss:16 URL: http://www.flonnet.com/fl2616/stories/20090814261604900.htm

उच्च लागत, उच्च जोखिम

आर. रामकुमार

यू.पी.ए. सरकार चहुंमुखी आलोचनाओं और विकल्पों को नजर. अंदाज कर आई.डी. कार्ड परियोजना को आगे बढ़ा रही है।

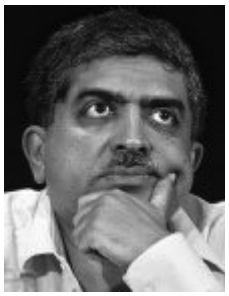

नंदन नीलेकणी के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईए) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ यसह तय हो गया है कि यूपीए सरकार ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक विशिष्ट और बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र देने की अपनी विवादास्पद योजना को जारी रखने का फैसला ले लिया है। मीडिया पूरी तरह ऐसे टिप्पणीकारों से पटा पड़ा है जो सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की सराहना किए जा रहे हैं जो भारत में ''प्रशासन के चेहरे'' को बदल कर रख देगा। आईटी उद्योग भी इसे लेकर काफी उत्साहित है क्योंकि सैकड़ों करोड़ के ठेके उसका इंतजार कर रहे हैं। जो समस्या मूलतः सामाजिक है, उस पर तकनीकी उद्योग दावा किए जा रहा है कि ''ले आओ, हम उसे दुरुस्त कर देंगे!''

यह परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल में 2002 में शुरू की गई थी। इसके इतिहास पर एक नजर दौड़ाएं तो जान पउ़ता है कि इसकी जमीन एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही

तैयार कर ली गई थी। परियोजना के स्रोतों को तलाशने के लिए करगिल समीक्षा समिति की विवादास्पद रिपोर्ट तक जाना पड़ेगा जिसका गठन 1999 में करगिल युद्ध के आलोक में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे के. सुब्रमण्यम और सदस्य थे बी.जी. वर्गीज, सतीश चंद्रा और के.के. हजारी। जनवरी 2000 में जमा अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र मुहैया कराने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, जिसके बाद इसका विस्तार देश के अन्य हिस्सों तक किया जा सकता है। करीब 2001 के आसपास एनडीए सरकार के एक मंत्रिसमूह ने सरकार को एक रिपोर्ट दी जिसका शीर्षक था रिफॉर्मिंग दी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। यह रिपोर्ट मोटे तौर पर सुब्रमण्यम कमेटी के निष्कर्षों पर आधारित थी। रिपोर्ट कहती है:

''अवैध आव्रजन अब गंभीर स्तरों पर पहुंच गया है। भारत में रह रहे नागरिकों और अनागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए। यह नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने में मददगार होगा। सभी नागरिकों को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) दिया जाना चाहिए और अनागरिकों को अलग रंग और डिजाइन का पहचान पत्र दिया जाना चाहिए।''

सन 2003 में एनडीए सरकार ने कुछ श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए जिससे राष्ट्रीय रजिस्टर का निर्माण हो सके, जिसे पहचान पत्र का आधार बनाया जाना था। सबसे बढ़िया तरीका रजिस्टर को जनगणना से जोड़ना था। हालांकि जनगणना में हमेशा लोगों के जवाबों की गोपनीयता का ध्यान रख जाता है। इसके लिए 1955 के नागरिकता कानून में एमएनआईसी के गठन के तुरंत बाद 2003 में संशोधन किया गया।

इस संशोधन में नागरिक पंजीकरण निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, जिसे हर राज्य में जनगणना निदेशक का कार्यभार भी संभालना था। 10 दिसंबर, 2003 को अधिसूचित नागरिकता के नियमों के मुताबिक पंजीकरण की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी गई: ''भारत के हर नागरिक के लिए भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।'' जो नागरिक ऐसा नहीं करेंगे, उनके लिए नियमों में दंड का भी प्रावधान रखा गया; किसी भी उल्लंधन की स्थिति में ''दंड दिया जाएगा, जो एक हजार रुपए के जुर्माने तक जा सकता है।''

दूसरे शब्दों में जनगणना सर्वेक्षण में शामिल निजता के उपबंधों को 2003 में ही एनडी सरकार द्वारा कमजोर कर दिया गया था।

यूपीए सरकार ने सिर्फ एनडीए सरकार की योजना को आगे बढ़ाया है और उसका नाम बदल दिया है। एमएनआईसी परियोजना का नाम बदल कर विशिष्ट पहचान के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनएयूआईडी) कर दिया गया और इसे योजना आयोग के तहत ला दिया गया। एनएयूआईडी को नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद जनवरी 2009 में स्थापित किया गया, हालांकि इसकी शुरुआत मुंबई हमले से पहले ही हो चुकी थी।

दिनांक 10 नवंबर, 2008 की एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यूआईडी परियोजना एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करेगीः ''सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य को बेहतर बनाना, नियामक उद्देश्य (जिसमें कराधान और लाइसेंसिंग भी शामिल हैं), सुरक्षा उद्देश्य, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां इत्यादि।'' यूआईडी को ''धीरे–धीरे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और नियामक एजेंसियों, साथ ही बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, मोबाइल टेलीफोनी और अन्य क्षेत्रों की नियामक एजेंसियों तक विस्तारित किया जाएगा।'' फरवरी 2009 में आए यूपीए सरकार के अंतरिम बजट में यूआईए की स्थापना को मंजूरी दी गई।

इस परियोजना के प्रति जनता का उत्साह दरअसल मीडिया में इसे लेकर किए गए प्रचार के कारण है। जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई, वह इस बात पर आशंका खड़ा करती है कि सराहना किसकी की जा रही थी, प्राधिकरण के अध्यक्ष की या खुद परियोजना की। कुछ टिप्पणीकारों ने नीलेकणी की नियुक्ति की इस लिहाज से प्रशंसा की कि सरकार में अब तकनीकविदों को लिया जा रहा है। यह भी दलील दी जा रही है कि पहचान पत्र गरीबी दूर करने से जुड़े कार्यक्रमों की क्षमता को बढ़ाएंगे। दरअसल, परियोजना का घोषित लक्ष्य भले ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की बेहतर डिलीवरी हो, लेकिन इस बात पर कोई दो राय नहीं कि इसका वास्तविक प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद को संबोधित करना है।

नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में एक पहचान पत्र का होना हालांकि स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। संभव है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों/योजनाओं में यह सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बना सके। लेकिन

इसी के साथ कई ऐसे कारण भी मौजूद हैं जिनके चलते यूआईए परियोजना की गंभीर आलोचना की जानी चाहिए, बल्कि उसका विरोध भी किया जाना चाहिए।

निजता और नागरिक स्वतंत्रता

सबसे पहली बात, अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि अपने नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र मुहैया कराने वाले देश कुछ ही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह निजता और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा पर होने वाली बहसें हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला है। यह कहा गया है कि पहचान पत्र बनाने के क्रम में जुटाई गई जानकारी और कार्ड में दर्ज सूचना का दुरुपयोग विभिन्न वजहों से हो सकता है। मसलन, एक समस्या यह है कि कार्ड जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उसके बजाय वह किसी और उद्देश्य की पूर्ति करता हो। कुछ लोगों ने तर्क दिए हैं कि पहचान पत्रों का इस्तेमाल देश के नागरिकों की प्रोफाइलिंग के लिए किया जा सकता है और एक नस्ली/जातीय सफाए की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, जैसा कि 195 में रवांडा में हुआ। पहचान पत्र के दुरुपयोग की संभावनाओं के खिलाफ निजता पर एक कानून बना देना निजता की कोई गारंटी नहीं है।

अमेरिका और ब्रिटेन में पहचान पत्रों पर सबसे ज्यादा बहस हुई है। लोगों के विरोध के बाद इन दोनों देशों में परियोजना को रद्द कर देना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इस परियोजना को रद्द कर दिया है। चीन ने पहले तो ऐसी परियोजना लाने की मंशा जाहिर की, लेकिन इन पहचान पत्रों में बायोमीट्रिक आंकड़े डालने के प्रवधान को वापस ले लिया।

अमेरिका में तो लंबे समय से निजता समर्थक समूहों ने आईडी कार्ड का विरोध यिका है। सत्तर और अस्सी के दशक में सामाजिक सुरक्षा संख्या को विस्तारित करने के सरकार के प्रयासों का भी विरोध हुआ था। लोगा. ` की चीख–पुकार के बाद 1989 में निजी एजेंसियों को सामाजिक सुरक्षा संख्या दिए जाने को रोक लेना पड़ा। बिल क्लिंटन के कार्यकाल में एक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड की प्रस्तावित परियोजना को भी ठंडे बस्ते डाल दिया गया हालांकि सरकार ने ''निजता और गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा'' का वादा किया था।

आखिरकार जॉर्ज बुश ने 2005 में अप्रत्यक्ष तरीके से अमेरिकी नागरिकों को आईडी कार्ड देने की येाजना को निपटाया। जिसं ''डीफैक्टो अईडी सिस्टम'' कहा गया, उसमें रीयल आईडी कानून की मार्फत लोगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे अपने ड्राइवरों के लाइसेंस पूराने लाइसेंस की जगह दोबारा जारी करवाएं। लाइसेंस दोबारा जारी करने के निए बनाए गए आवेदन पत्र में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने नए प्रश्न जोड़ दिए जो लाइसेंसधारकों के डेटाबेस का हिस्सा बन गए। चूंकि तकरीबन सभी अमे. रिकी नागरिकों के पास गाड़ी चलाने के लाइसेंस थे, इसलिए यह नागरिकों का एक अनौपचारिक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बन गया। जाहिर है, ये कार्ड अमेरिका में अन्य किसी कार्य, जैसे बैंक या एयरलाइन के लिए उपयोग में नहीं लाए जा सकते। आज भी अमेरिकी सरकार द्वारा संग्रहित आंकड़ों की गोपनीयता पर यहां बहस जारी है।

राष्ट्रीय पहचान पत्र पर सबसे दिलचस्प बहस ब्रिटेन में हुई। 2004 में आइडेंटिटी काड्र्स विधेयक लाए जाने के बाद टोनी ब्लेयर ने सभी नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने की मंशा व्यक्त की। लोों ने इतना विरोध किया कि अब तक सरकार इस नीति को परे रखे हुए है। यह बहस मुख्य तौर पर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के इनफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इनोवेशन ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय पहचाप पत्र की आवश्यकता पर तैयार एक महत्वपूर्ण शोध रिपोर्ट में दी गई दलीलों के इर्द–गिर्द है। एलएसई की रिपोर्ट को यहां देखना प्रासंगिक होगा।

एलएसई की रिपोर्ट

रिपोर्ट में ब्लेयर सरकार की योजना में चिंता के प्रमुख क्षेत्रों जैसे उच्च लागत और उच्च जोखिम, साथ ही प्रौद्योगिकीय और मानवाधिकार के मसलों की पहचान की गई है। रिपोर्ट ने बताया कि सरकार की योजना ''बेहद जटिल, तकनीकी रूप से असुरक्षित, समाधान का अतिसरलीकृत रूप है जिसमें लोगों का भरोसा और विश्वास नहीं है।'' यह स्वीकारते हुए कि आतंकवाद को रोकना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है, रिपोर्ट ने आशंका जाहिर की कि क्या ये कार्ड पहचान की चोरी के माध्यम से होने वाले आंतंकी हमलों को रोक पाने में सक्षम होंगे।

''... पहचान की चोरी को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि

व्यक्तियों को उनकी निजी सूचनाओं के खुलासे के बारे में ज्यादा स्वायत्तता मुहैया कराई जाए। आतंकवाद को रोकने का बेहतर तरीका यह है कि सीमा पर गश्त और मौजूदगी बढ़ाई जाए तथा पारंपरिक पुलिस गुप्तचर सेवाओं के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाएं। विधेयक में प्रस्तावित कार्ड की व्यवस्था पहचान की चोरी की घटनाओं में इजाफा कर सकती है... नतीजतन, राष्ट्रीय पहचान रजिस्टर अपने आप में ब्रिटेन के नागरिकों की सुरक्ष के लिए खतरा बन सकता है, बजाय उन तमाम समस्याओं के जिन्हें संबोधित करने की यह मंशा रखता है।''

अपने निष्कर्ष में एलएसई की रिपोर्ट ने कहा था, ''...पहचान प्रणाली नई और अभूतपूर्व समस्याओं को जन्म दे सकती है। इनमें तकनीकी तंत्र की विफलता, भारी वित्तीय लागत, बढ़ा हुआ सुरक्षा खतरा और नागरिकों पर अस्वीकार्य किस्म के प्रतिबंध शामिल हैं। एक राष्ट्रीय पहचान व्यवस्था की कामयाबी एक संवेदनशील, सतर्क व सहयोगपूर्ण रवैये पर निर्भर है जिसमें सभी पक्षकारों की सहभागिता हो, तथा जिसमें एक स्वतंत्र आकलन का भी प्रावधान हो और प्रबंधकीय आचार की नियमित समीक्षा की जाए। हम से लेकर संतुष्ट नहीं हैं कि विधेयक के विकास क्रम में इन शर्तों की पुष्टि की गई है। मौजूदा प्रस्ताव की विफलता का खतरा हमें उस बिंदु तक ले जाता है जहां हम यह मानें कि यह योजना जनहित और व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों के समक्ष एक जोखिम है।''

प्रौद्योगिकीय निश्चयवाद

दूसरे, भारत में इस बहस का एक दिलचस्प पहलू वह प्रौद्योगिकीय निश्चयवाद है जो दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि नागरिकता की समस्या को तकनीक की मदद से हल किया जा सकता है। सरकार के इस नजरिए का सबूत ही यह तथ्य है कि यूआईए की कमान किसी जनसंख्याविद को न देकर एक टेक्नोक्रैट को दे दी गई है। भारत जैसे देश में, जहां अवैध आव्रजन के अलावा आंतरिक पलायन, खासकर गरीब श्रमिक परिवारों से लोगों का पलायन इतने बड़े पैमाने पर होता है, लोगों की गिनती करना इतना आसान काम नहीं है एक तकनीकविद इसे संभाल ले। यह चौंकाने वाली बात है कि जनगणना पंजीयक और यूआईए के अध्यक्ष के कर्तव्यों में बिल्कुल साफ विभाजन है और यूआईए के अध्यक्ष को जनगणना पंजीयक से ऊपर एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है।

ऐसा प्रौद्योगिकीय निश्चयवाद हालांकि ब्रिटेन जैसे देशों में भी देखा गया है। योजना में ब्रिटेन सरकार के विश्वास से संबंधी मुहावरेबाजी लगातार उसके प्रौद्योगिकीय अनिश्चय के साथ टकराती रही है। आलोचकों ने इस ओर इशारा किया ाि कि किसी भी प्रौद्योगिकीय संघटक की मामूली सी नाकामी भी समूची परियोजना मेंलोगों के विश्वास को डगमगा देगी। मसलन, एलएसई की रिपोर्ट ने कहा थाः

''इस परियोजना के लिए जिस प्रौद्योगिकी की परिकल्पना की गई है, वह मोटे तौर पर अविश्वसनीय है और आजमाई हुई नहीं है। दुनिया में कहीं भी इस स्तर की योजना नहीं ली गई। छोटी और कम महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी बड़ी संचालकीय और तकनीकी गड़बड़ियां पैदा हुई हैं, जो जाहिर है राष्ट्रीय स्तर की एक विशाल परियोजना में कहीं ज्यादा होंगी। प्रस्तावित व्यवस्था अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकीय और बुनियादी ढांचा संबंधी एक नया संस्तर खड़ा कर रही है जिसमें विफलता के जोखिम भी होंगे। इस जटिलता और महत्व का एक पूरी तरह से एकीकृत राष्ट्रीय तंत्र प्रौद्योगिकीय रूप से खतरनाक होगा और अपने आप में आतंकियों या अन्य के हमले में निशाने पर हो सकता है।''

ब्लेयर हालांकि इस परियोजना के प्रबल समर्थक थे। दी डेली टेलीग्राफ में लिखे एक आलेख में उन्होंने कहा था कि आईडी कार्ड की जरूरत ब्रिटेन की सीमाओं की सुरक्षा करने और आधुनिक जीवन को सहज बनाने के लिए है, और ''आईडी कार्ड का मामला स्वतंत्रता से नहीं, आधुनिक विश्व से जुड़ता है।'' आधुनिकता पर टिप्पणी करते हुए एलएसई में रीडर और शोध टीम के सदस्य एडगर ए. विटली ने कहा, ''बौद्धिक स्तर पर प्रौद्योगिकीय निश्चयवाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समाज और प्रौद्योगिकी के परस्पर अंतर्गुम्फन को महज एक कार्य–कारण संबंध में तब्दील किया जा रहा हो।''

तीसरे, क्या आईडी कार्ड योजना सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को बढ़ा पाने में सक्षम होगी? नीलेकणी के अनुसार आईडी कार्ड ''उन व्यापक गड़बड़ियों को संबोधित कर सकेगा जो सब्सिडी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावित करती हैं।'' हालांकि यदि आईडी कार्ड आ भी गए तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की क्षमता के मोर्चे पर बहुत फर्क दिखने की संभावना नजर नहीं आती। भारत में सरकारी योजनाओं की बदतर क्षमता प्रौद्योगिकीय निगरानी के अभाव में नहीं है। इसकी वजहें ढांचागत हैं और इन ढांचागत अवरोधों को आईडी कार्ड के प्रयोग से दूर नहीं किया जा सकता।

सामाजिक वास्तविकताओं की समझ

एक दावे को लेते हैं– ''आईडी कार्ड सरकारी विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लक्षित कर पाएंगे।'' यहीं पर आईडी कार्ड के पीछे की सोच उन सामाजिक वास्तविकताओं को समझ पाने में विफल हो जाती है जो जरूरतमंद तबकों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को कम करती हैं। यदि हम इस तर्क को जन वितरण प्रणाली पर लागू करें, तो इसका अर्थ यह बनता है कि सरकार सिर्फ यह सुनिश्चित कर सकती है कि बीपीएल परिवार ही योजना का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन भारत में पीडीएस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि गैर–बीपीएल परिवार उससे लाभ ले लेते हैं, बल्कि यह है कि बड़े तबके को बीपीएल की श्रेणी से ही बाहर रखा गया है।

इसके अलावा, सिर्फ एक साल के सर्वेक्षण के आधार पर परिवारों को एपीएल और बीपीएल श्रेणी में बांटना भी समस्यास्पद है, और उसके बाद कई साल तक इसी श्रेणी को मानते रहना। ग्रामीण परिवारों, खासकर ग्रमीण मजदूरों के परिवारों की आय तेजी से घटती–बढ़ती है। हो सकत है कि सर्वेक्षण के वर्ष में जो परिवार गरीब में न आए, वह श्रम बाजार की अस्थिरता की वजह से अगले ही साल गरीब की श्रेणी में आ जाए। पीडीएस की सक्षमता में इस सबसे महत्वपूर्ण अवरोध का समाधान आईडी कार्ड कैसे कर सकेगा?

एक अन्य दावा यह है कि यदि आईडी कार्ड लागू कर दिए गए तो मौजूदा गरीबी उन्मूलन योजनाओं की जगह सिर्फ नकदी हस्तांतरण किया जाएगा। सबसे पहली बात तो यही कि विकासशील दुनिया के किसी भी हिस्से में सरकारी काम के बदले नकदी हस्तांतरण की कोई भी योजना कामयाब

नहीं हुई है। इसके अलावा, पीडीएस के संदर्भ में जो वजहें बताई गईं, उन्हीं के चलते नकदी हस्तांतरण की योजना में भी एक बड़ा तबका जरूरतमंद लोगों का नकदी लाभ नहीं ले सकेगा। ऐसी स्थिति में आईडी कार्ड किसी भी रूप में मददगार नहीं होगा।

इसके अलावा बीपीएल कार्ड का जो मामला ऊपर दिया गया है, उसे अपवाद या विशिष्ट स्थिति नहीं माना जा सकता। कई सामाजिक कल्याणकारी प्रावधानों में बीपीएल आबादी को तरजीह दिए जाने के मद्देनजर सामाजिक क्षेत्र में आईडी कार्ड के उपयोग में भी काफी समस्याएं आएंगी।

चौथे, ऐसी किसी भी विशाल परियोजना में आने वाली लागत बहुत बड़ी होती है और हमेशा उसका मूल्यांकन उससे निकलने वाले संभावित फायदों के बरक्स किया जाना चाहिए। भारत में सरकार द्वारा इस परियोजना की अनुमानित लागत एक लाख करोड़ रुपए है। इतना पैसा अगर मंजूर हो भी जाए, तो प्रौद्योगिकीय विकल्पों और परियोजना की व्यवहार्यता पर अनिश्चय बना ही रहेगा। इसके अतिरिक्त, यह भ साफ नहीं है कि क्या सरकार ने आईडी कार्ड के सही से काम करने के लिए एक समूचे तंत्र पर बार–बार आने वाले खर्च को संज्ञान में लिया है नहीं।

ब्रिटेन के मामले में एलएसई की रिपोर्ट ने कहा था कि इस परियोजना की लागत का मूल्यांकन सरकार ने बहुत कम किया था। ब्रिटेन सरकार द्वारा लागत मूल्यांकन की कवायद पर एलएसई की रिपोर्ट में की गई आलोचना बताती है कि आखिर सरकारें ऐसी परियोजनाओं की लागत कम क्यों आंकती हैं। एलएसई के मुताबिक इन 10.6 अरब से 19.2 अरब पौंड की लागत आती, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एकीकरण की लागत को शामिल नहीं किया गया है। यह ब्रिटेन सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा था।

ऊपर दिए गए कारणों के अलावा कुछ अन्य सहज सवाल भी हैं जिनके जवाब नदारद हैं। मान लें कि एक गरीब परिवार, जो लगातार इस आईडी कार्ड का उपयोग कर रहा है, इसे खो देता है। क्या इसका अर्थ यह बनता है कि जब तक नया कार्ड बन कर नहीं आ जाता (जो जाहिर है भारत में कई हफ्ते लेगा), उस परिवार को मिलने वाली तमाम सुविधाएं स्थगित रहेंगी? हम दूसरे विकल्पों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, जैसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मुहैया कराना?

इंटरनेट को तो छोड़ दी दें, जिन गांवों में बिजली तक नहीं है, वहां आईडी कार्ड का क्या काम होगा?

डेटाबेस का दुरुपयोग

निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि यूपीए सरकार की आईडी कार्ड परियोजना, जो एनडीए सरकार की ही पैदाइश है और जारी है, अधिकतर मानकों पर चूक जाती है। इस तर्क पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं कि नागरिकों के केंद्रीय डेटाबेस का दुरुपयोग मनमर्जी और खतरनाक तरीकों से उनके प्रोफाइलिंग के लिए किया जा सकता है।

योजना बेहद खर्चीली है। इसके पीछे एक अवास्तविक प्रस्थापना है कि तकनीक के इस्तेमाल से सामाजिक अपर्याप्तता संबंधी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं की प्रभाव क्षमता को बढ़ाने के संदर्भ में परियोजना के लाभ सीमित दिखते हैं।

ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं कि हम डेटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन या सेवाओं के प्रावधान के खिलाफ हैं। नागरिकों के आईडी कार्ड उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल देश के किसी भी कोने में किया सकता है और साथ ही न्यूनतम सेवा लाभ भी उठाया जा सकता है। फिलहाल, भारत के अस्सी फीसदी नागरिकों के पास मतदाता पहचान पत्र हैं। इसी कार्ड के प्रयोग को कुछ नवाचारों के साथ बड़ी आसानी से विस्तारित किया जा सकता है ताकि यह कई कामों के लिए एक मास्टर कार्ड बन जाए।

लेकिन स्मार्ट कार्ड में सभी सूचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को केंद्रीकृत करने का सामाजिक फायदा क्या होगा? दुर्भाग्यवश, यूपीए सरकार ने परियोजना की आलोचना और वैकल्पिक सुझावों पर कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं की है।

आर. रामकुमार टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई से संबद्ध हैं।

सवालिया रिश्ता

प्रफुल्ल बिदवई

पिछले साल जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया गया, तो उसके उद्देश्य या इस बात पर कोई बहस नहीं हुई कि आखिर यह प्राधिकरण 1.2 अरब भारतीय नागरिकों को 16 अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या देने के लिए क्रूा विधि अपनाएगा।

आईटी जगत के स्टार इसके अध्यक्ष नंदन नीलकेणी को हालांकि केंद्रीय मंत्री का दर्जा दे दिया गया, लेकिन प्राधिकरण को किसी मंत्रालय के अंतर्गत रखने के बजाय योजना आयोग के तहत रखा गया जो कि एक अवैधानिक संस्था है और जिसने सार्वजनिक जवाबदेही के बगैर लगातार अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। रोजगार गारंटी योजनाओं, बीपीएल कार्ड या शिक्षा के अधिकार आदि उद्देश्यों के लिए पहचान के अन्य साधनों के बरक्स इस

परियोजना के लाभों पर कोई चर्चा नहीं हुई।

तब से लेकर अब तक यह परियोजना एक विशाल योजना में तब्दील हो चुकी है। हालिया बजट ने इसके लिए आवंटन को सोलह गुना बढ़ा दिया। इसका नया नाम रखा गया आधार और इसका लोगो भी बना दिया गया। इस दौरान नीलेकणी ने फैसला किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए यूआईडी में दोनों आंखों के आयरिस के स्कैन और सभी दस उंगलियों की छाप के अलावा बायोमीट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां तक कि पांच से पंद्रह साल तक के बच्चों को भी इसमें ''शिक्षा के अधिकार'' के मद्देनजर शामिल किया जाएगा।

यह परियोजना अब 2011 की जनगणना की पीठ पर चढ़ कर अपना काम कर रही है, जो शुरू हो चुकी है। जनगणना के आंकड़े एक राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर बनाने के काम आएंगे, जिसमें 15 मदों में किसी व्यक्ति की सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता–पिता का विवरण, स्थायी और वर्तमान पता, वैवाहिक स्थिति, और यदि विवाहित हों तो पति/पत्नी का नाम। इसमें बायोमीट्रिक डेटा भी शामिल होगा। नीलेकणी के अनुसार यूआईएडीआई ''एनपीआर के बैक ऑफिस की तरह काम करेगा'' और संग्रहित आंकड़ों की नकल कर यूआईडी बनाएगा। जैसा कि हम नीचे देखेंगे, यूआईडी–एनपीआर–जनगणना के परस्पर संबंध ही अवैध हैं।

परियोजना के उद्देश्य और उसके प्राथमिक कार्यों में से एक– आतंकवाद से निपटने के लिए नागरिकों की प्रोफाइलिंग, जिनसे राज्य को संभावित खतरा है– की वैधता पर कोई स्पष्टता नहीं है।

इस परियोजना के गुणों के बारे में जितने भी दावे किए जा रहे हैं, वे सभी प्रशासन करने में इसके योगदान से जुड़े हैंः यह नागरिकों का एक विश्वसनीय रजिस्टर बनाने में मदद करेगी; असली नागरिकों अवैध घुसपैठियों से अलग करेगी; आतंकवादियों, कर चोरी करने वालों और पैसे की हेर–फेर करने वालों पर निगाह रखने में राज्य की मदद करेगी; जिन गरीबों के बैंक खाते नहीं हैं, ऐसे 60 फीसदी गरीबों को बैंकिंग तंत्र में लाएगी; और उंगलियों के निशान पहचानने वाले मोबा. इल फोन के माध्यम से लघु ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देगी। इन सबसे ऊपर माना जा रहा है कि परियोजना, स्वास्थ्य सेवा, भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से गरीबों को मिलने वाले लाभ को सटीक रूप से लक्षित करेगी जबकि भ्रष्टाचार और रिसाव को दूर करेगी।

अभी भ्रम बना हुआ है कि यूआईडी अनिवार्य होगा या स्वैच्छिक। नीलेकणी इस बात पर जोर देते हैं कि यह स्वैच्छिक होगा और इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि इसे अनिवार्य बनाया गया, तो वास्तविक लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि, तार्किक तौर पर इसकी कवरेज समग्र होनी चाहिए।

कई सरकारी प्रशासनिक यूआईडी को सामाजिक व प्रशासनिक समस्याओं समेत सेवा आपूर्ति में रिसाव के एक प्रौद्योगिकीय जुगाड़ के रूप में देखते हैं। नीलेकणी हालांकि अभी द्वंद्व में हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था, 'अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि रिसाव को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। हम इस पर काम कर रहे हैं।' यूआईडी का पहला सेट अगस्त 2010 और फरवरी 2011 के बीच जारी किया जाएगा। 2014 तक 95 फीसदी सटीकता के साथ आधी आबादी को कवर कर लिया जाएगा।

सुरक्षा की दलील

ऐसा लगता है कि यूआईडी परियोजना एक ऐसा समाधान है जो खुद समस्याओं की तलाश में है। उसे उन सामाजिक और गरीब–हितैषी कर्त्तव्यों के माध्यम से पुष्ट करने की कोशिश की जा रही है जो कि उसके मूल उद्देश्यों से कहीं आगे की चीजें हैं और जो शायद उतने ही प्रभावी साधनों से निपटे जा सकते हैं।

इसके सामाजिक लाभों के बारे में जितना बढ़–चढ़ कर दावा किया जा रहा है, इसके पीछे का तर्क और इसका प्राथमिक उद्देश्य उसके मुकाबले कहीं कमजोर है। यह तर्क है सुरक्षा, सर्वेलांस और नियंत्रण का– जिसकी पड़ताल सुरक्षा विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम की अध्यकक्षता वाली करगिल समीक्षा समिति द्वारा सभी भारतीयों के लिए अनिवार्य बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की सिफारिश में की जा सकती है।

इस समिति ने अपने कार्यक्षेत्र से काफी आगे जाकर सुरक्षा और परमाणु हथियारों के सिद्धांतों तक में दखल दे दिया था। करगिल के बहाने इसने कहीं व्यापक 'राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य' के एजेंडे को गति दी। गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने खुद यूआईडी के पीछे सुरक्षा की दलील को रेखांकित किया था जब उन्होंने बिल्कुल समय रहते नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों के बाद ही जनवरी 2009 में यूआईडीएआई के गठन की घोषणा की।

इसी तर्क पर आगे चलते हुए सरकार ने एक डीएनए डेटा बैंक और एक नैटग्रिड (राष्ट्रीय गुप्तचर तंत्र) के गठन की योजना घोषित की जो 11 एजेंसियों को आपस में जोड़ देगा। इनमें गुप्तचर ब्यूरो, रॉ, सीबीआई, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, उत्पाद और कस्टम शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड शामिल हैं।

केन्द्रीय मध्यस्थ

एनपीआर द्वारा निर्मित सूचना को यूआईडीएआई और नैटग्रिड के साथ साझा किया जाएगा। डीएनए बैंक और नैटग्रिड का काम आतंकवाद से लड़ना और आंतरिक सुरक्षा की अन्य चुनौतियों से निपटना है।

यूआईडीएआई तमाम एजेंसियों के बीच केन्द्रीय मध्यस्थ की भूमिका में रहेगा, जैसे महापंजीयक (जो जनगणना करवाता है), भारतीय रिजर्व बैंक (जो वाणिज्यिक बैंकों का नियमन करता है), टेलीफोन और इंटरनेट सेवाप्रदाता, साथ ही गुप्तचर एजेंसियां। अगर यूआईडी संख्या को पहचान के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाना है, तो यह अनिवार्य है, लेकिन सवाल उठता है कि सुरक्षा एजेंसियों और यहां तक कि नागरिक प्रशासन के लिए भी न सिर्फ यूआईडी, बल्कि पूरा सूचना का डेटाबेस आखिर कितना विश्वसनीय साबित होगा। इसका जवाब है कुछ खास नहीं। इसमें दर्ज आंकड़ों की दोबारा जांच नहीं की जाएगी। चूंकि, राष्ट्रीयता को वही माना जाएगा जो व्यक्ति द्वारा 'स्वघोषित' हो और इस तरह वह राष्ट्रीयता नीचे के दस्तावेजों में अपने आप चलती जाएगी, इसलिए कोई भी अनागरिक तुरंत खुद को भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज करवा सकता है। इसके बाद वह बड़ी आसानी से बैंक में खाते खुलवा सकता है, भारत से यात्रा के दस्तावेज ले सकता है और भारतीयों की तरह यहां रोजगार पा सकता है। जाहिर है कि इसके नकारात्मक सुरक्षात्मक परिणाम होंगे। लेकिन इन चीजों को बहुत तूल नहीं दी जानी चाहिए। तथ्य यह है कि यूआईडी में प्रमाणीकरण और पर्यवेक्षण का पूरी तरह अभाव है।

इससे भी बुरा यह है कि इसमें जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी, वह बेहद समस्यास्पद है। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की एक टीम ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐसी ही एक परियोजना का विश्लेषण कर निष्कर्ष दिया था, 'इस परियोजना के लिए जिस प्रौद्योगिकी की परिकल्पना की गई है, वह मोटे तौर पर अविश्वसनीय है और आजमाई हुई नहीं है। दुनिया में कहीं भी इस स्तर की योजना नहीं ली गई। छोटी और कम महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी बड़ी संचालकीय और तकनीकी गड़बड़ियां पैदा हुई हैं, जो जाहिर है राष्ट्रीय स्तर की एक विशाल परियोजना में कहीं ज्यादा होंगी।' यह समस्या भारत में और विकराल रूप ले सकती है जो कि ब्रिटेन से 20 गुना ज्यादा आबादी वाला देश है और जहां की प्रशासन व्यवस्था लचर है।

भारत में आईटी आधारित प्रविधियों की विश्वसनीयता के मुद्दे की उपेक्षा की जाती है। ऐसा यहां आईटी पर अंधविश्वास के कारण है। यह समाज तकनीक और प्रौद्योगिकी से बुरी तरह शापित है, लेकिन

यहां उसके पीछे के विज्ञान और संशयवाद को लेकर समझ बदतर है। इसीलिए, हम डेटा की सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेर–फेर के प्रति अरक्षितता को स्वीकार करने से भी इनकार कर देते हैं। हालांकि, प्रौद्योगिकीय रूप से ज्यादा साक्षर समाजों में यह व्यापक रूप से स्वीकार्य है। इतना ही नहीं, ये इसके बावजूद है कि मिशीगन विश्वविद्यालय के छात्रों ने सफलतापूर्वक भारत के ईवीएम को हैक कर लिया था (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 मई)।

यूआईडीएआई के डेटाबेस पर तमाम एजेंसियों की नजर रहेगी, भारतीय और विदेशी, व्यावसायिक और सरकारी तथा सुरक्षा संबंधी और औद्योगिक जासूसी से संबद्ध एजेंसियां। हाल ही में टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने चीन के एक कम्प्यूटर जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया था जिसने भारत के रक्षा मंत्रालय के कुछ वर्गीकृत दस्तावेज उड़ा लिए थे। जिन प्रतिष्ठानों के साथ सुरक्षा से 'समझौता' हुआ उनमें सैन्य गुप्तचर महानिदेशक, तीन वायुसेना बेस, चार भारतीय सैन्य इंजीनियर सेवाएं, असम में एक आर्टिलरी ब्रिगेड, भारत के दो सैन्य कॉलेज तथा काबुल, मॉस्को, दुबई और नाइजीरिया के भारतीय दूतावास के कम्प्यूटर थे (देखें http://nytimes.com/2010/04/06/science/06cyber.html)। ठीक इसी तरह डीएनए डेटाबेस पर भी हमला हो सकता है जिसमें निर्दोष नागरिक शिकार बनेंगे।

इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि यूआईडीएआई का डेटाबेस सैन्य तंत्र से ज्यादा सुरक्षित होगा। इन सबके अलावा एक बड़ा सवाल 1.2 अरब नागरिकों के विशाल डेटाबेस को बनाने और उसके रखरखाव में आने वाली लागत का है। एलएसई ने अपने अध्ययन में अनुमान लगाया था कि ब्रिटेन में यह लागत 10 से 20 अरब पौंड के बीच होगी। भारत में इसी अनुपात में यदि अंदाज लगाया जाए, तो पूरा खर्च 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा, जो कि एक गरीब देश के लिए बहुत अधिक है जहां 70 फीसदी आबादी के पास शौचालय तक नहीं है। यह तो सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधानों में बढ़ोतरी की मांग करता है।

सीएनएन–आईबीएन को दिए अपने साक्षात्कार में नंदन नीलेकणी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि 'यह एक ऐसी परियोजना है जहां हम अनछुए क्षेत्रों मे प्रवेश कर रहे हैं, प्रौद्योगिकीय चुनौतियां अपार हैं

और परियोजना में एक बड़ा जोखिम इसकी प्रौद्योगिकी को लेकर ही है।' (http://www.hindu.com/thehindu/nic/nandannilekani.htm)। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि 'मैं नहीं जानता कि सही आंकड़ा क्या होगा', लेकिन फिर भी कहते हैं कि 'यह 10 गुना (1.5 लाख करोड़) से भी कम होगा।'

निजता का हनन

ऊपर दी गई तमाम जटिल समस्याएं निजता के सवाल के आगे गौण रह जाती हैं क्योंकि यूआईडी नागरिकों की निजता और संवैधानिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण व उल्लंघन करने में सक्षम है। नैटग्रिड के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों को डेटाबेस की 21 श्रेणियों में रियल टाइम पहुंच मिल जाएगी जिनमें बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, ड्राइलिंग लाइसेंस, वीजा और आव्रजन रिकॉर्ड शामिल होंगे। एक इंटेलीजेंस अधिकारी ने कथित तौर पर बताया, 'बस आप व्यक्ति का नाम डालिए और आपको सभी डेटाबेस में उसके बारे में विवरण मिल जाएगा।' इनमें ट्रैफिक में वसूला जाने वाला दंडात्मक शुल्क और क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड तक शामिल होगा। वह कहते हैं, 'वास्तव में राज्य से कुछ भी छुपा नहीं रह जाएगा।'

जो आंकड़ा संग्रहित किया जाएगा, वह लोगों द्वारा जरूरत के आधार पर अपने खाते चलाने, पासपोर्ट पाने या राशन कार्ड पाने जैसे कामों के लिए विभिन्न एजेंसियों को दी जाने वाली सूचना से कहीं अधिक होगा। अब तमाम सूचनाओं को एक जगह लाकर एक एकल डेटाबेस में डाल दिया जाएगा और माउस के एक क्लिक पर सैंकड़ों सरकारी विभागों की उस तक पहुंच हो जाएगी।

इस एकीकरण का अर्थ यह होगा कि नागरिक का नियंत्रण अपनी निजी सूचना पर से जाता रहेगा। सरकारी एजेंसियां इस सूचना का इस्तेमाल नागरिक की गतिविधियों, बैंक विनिमय और अन्य वैध गतिविधियों का पता करने में कर सकेंगी। यह किसी की निजता में एक अस्वीकार्य अतिक्रमण है क्योंकि निजता एक बुनियादी अधिकार है।

एनपीआर और नैटग्रिड व्यक्तियों के विनिमय और रूझानों का अध्ययन कर उसका पीछा कर सकेंग और प्रोफाइल बना सकेंगे। एनपीआर जनगणना कानून के तहत नहीं, बल्कि 1955 के नागरिकता कानून के तहत संकलित किया जा रहा है। जनगणना कानून गोपनीयता की गारंटी देते हुए कहता है कि निजी आंकड़े 'पर्यवेक्षण के लिए स्वतंत्र नहीं हैं और न ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।' दूसरी ओर एनपीआर में यह संरक्षण गायब है, जिससे नागरिकों का पंजीकरण 'अनिवार्य' हो जाता है। जनगणना कानून का लक्ष्य आबादी की प्रोफाइल बनाना है न कि व्यक्तियों की। व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग उनकी आजादी, निजता और गोपनीयता को भंग कर सकती है।

हालांकि, यह अजीब बात है कि यूआईडीएआई इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता कि उसका डेटाबेस कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। वह खुले तौर पर घोषित करता है कि वह 'पहचान के कारोबार' में है। वह कहता है, 'लाभार्थियों तथा सेवा आपूर्ति के प्रशासन की जिम्मेदारी संबद्ध एजेंसियों के पास ही बनी रहेगी। यूआईडी संख्या सिर्फ पहचान की गारंटी देगी, अधिकारों या लाभों की नहीं।' यह तथ्य अपने आप में इस योजना के पीछे के तर्क को झूठा ठहराता है, यानी यह कि यूआईडी उन अवरोधों को तोड़ देगा जो गरीबों को सार्वजनिक सेवाओं और सब्सिडी तक पहुंचने से रोकते हैं।

प्रौद्योगिकी और निजी सूचना के दुरुपयोग का भारतीय राज्य का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। हाल ही में नेताओं के बीच बातचीत की टैपिंग को लें, जिसमें एजेंसियों ने नई 'पासिव इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जो उन्हें 2 किलोमीटर के दायरे के भीतर मोबाइल फोन पर होने वाली सारी बातचीत को सुनने में सक्षम बनाता है। इस पर संसद में बहुत हल्ला हुआ। इसके बावजूद सरकार ऐसे उपकरण के उपयोग को कानूनी ठहराने की योजना बना रही है जबकि ऐसा करते वक्त टेलीग्राफ कानून के अंतर्गत वायर टैपिंग की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है जिसके तहत फोन टैप करने के लिए गृह सचिव की मंजूरी और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी की समीक्षा की जरूरत होती है।

राज्य ने हमेशा नागरिकों के ऊपर असामान्य ताकत दिखाई है और

दुरुपयोग किया है। हमें सिर्फ एक बार टाडा, पोटा और 200 से ज्यादा ऐसे असामान्य कानूनों को लागू किए जाने के रिकॉर्ड को देखने की जरूरत है जिनके दुरुपयोग की जबरदस्त संभावना है। भारत को यूआईडीएआई की जरूरत नहीं, बल्कि निजता की रक्षा करने और उसमें अतिक्रमण को दंडित किए जाने संबंधी एक प्रभावी कानून की जरूरत है।

गुप्तचर एंजेसियां जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होतीं और वे सूचना के अधिकार के दायरे के भी बाहर होती हैं इसलिए हम कभी नहीं जान सकते कि वे नागरिकों के बारे में क्या जानती हैं और सूचना की कैसी व्याख्या करेंगी तथा उसका कैसे इस्तेमाल करेंगी। यूआईडी योजना और संबद्ध डेटाबेस का बंटवारा राज्य की एजेंसियों को एक नागरिक के जीवन के हर क्षण का विवरण जानने में समर्थ बना देगा जबकि नागरिक यह जानने में भी सक्षम नहीं हैं कि वे उसके बारे में क्या जानते हैं और उस जानकारी का क्या करते हैं। यह लोकतंत्र का मखौल है।

यह समाज पहले से ही शक की राजनीति की भारी कीमत चुका रहा है जिसकी सर्वाधिक अतिवादी अभिव्यक्ति मुठभेड़ में होने वाली हत्याओं के रूप में सामने आती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में स्वीकार किया था कि 1993 से 2006 के बीच पुलिस द्वारा 2560 मुठभेड़ों की सूचना उसे मिली थी, जो सालाना औसतन 183 मुठभेड़ें हैं। आयोग ने पाया कि इनमें करीब आधी मौतें यानी 1224 मामलों में मुठभेड़ या तो फर्जी रहीं या फिर सुनियोजित यानी गैर–कानूनी हत्याएं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कार्रवाई करते हुए राज्य खासतौर पर बेहद वहशियाना व्यवहार करता है। अनुभव बताते हैं कि आतंकवाद से लड़ने का तरीका यह है कि उसे अपराध माना जाए और उसके दोषियों को सजा मिले जबकि उसके मूल कारणों को भी संबोधित किया जाए। जरूरत गहरे भेदने वाले सर्वेलांस उपकरणों की नहीं, अभिजात्य इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की नहीं, बल्कि अच्छी और ईमानदार पुलिसिंग, साक्ष्यों के धैर्यपूर्वक संग्रहण और सही तरीके से दंड दिए जाने की है।

राज्य के हाथों में और ज्यादा शैतानी व गैर–जवाबदेह ताकत को देने का अर्थ नागरिकों की गुलामी का घोषणापत्र तैयार करना होगा। यूआईडी परियोजना दरअसल यही करती है। इसका बिना किसी समझौते के विरोध किया जाना चाहिए, नहीं तो हम जनता की आजादी और अधिकारों की फिसलन भरी ढलान से नीचे की ओर ही आते जाएंगे तथा नागरिकों को 'अनुशासित' करने के लगातार अतिक्रमणकारी तरीके इस्तेमाल करते जाएंगे। लोकतंत्र को इससे अधिक नुकसान किसी और चीज से नहीं हो सकता।

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फर्जीवाड़ा और राष्ट्र विरोधी कदम है :

एस गुरुमूर्ति

'2011 की जनगणना में आबादी की गणना का इस चरण में नागरिकता कानून के तहत नागरिकता के मसलों से कोई लेना–देना नहीं है क्योंकि फिलहाल जनगणना में नेशनल पापुलेशन रजिस्टर तैयार नहीं किया जाएगा, सिर्फ सूचना इकट्ठा की जाएगी ताकि एनपीआर बाद में तैयार किया जा सके।' केन्द्रीय गृहमंत्री ने 7 मई को संसद में दिए अपने बयान में जनगणना 2011 पर यह बात कही। मंत्री के बयान में मौजूद तीक्ष्ण कानूनी स्वर सचाई को दबा ले जाता है और एनपीआर के लिए आबादी की जनगणना के बारे में यह एक गलतबयानी है जिससे देश में चल रहे इस फर्जीवाड़े पर पूरी तरह परदा डालने की कोशिश की जा रही है।

शुरुआत उस चीज से करें जो निर्विवाद रूप से पूरी तरह झूठ है, बल्कि फर्जीवाड़ा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नाम ही फर्जी है। न तो 1955 का नागरिकता कानून और न ही नागरिकता पियम 2003 में 'नेशनल' पॉपुलेशन

रजिस्टर का कोई जिक्र है। नागरिकता कानून सिर्फ पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करते हैं। यहां नेशनल को हटा दिया जाना दुर्घटनावश नहीं है। ऐसा जान–बूझ कर किया गया है। यह नागरिकता नियमों से ही स्वयंसिद्ध है, जो उसी स्वर में 'नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिजंस' (एनआरआईसी) की बात करता है। यहां नेशनल का प्रयोग विपर्यय पैदा करने के लिए जान–बूझ कर किया गया है। एनआरआईसी की तरह पॉपुलेशन रजिस्टर में नेशनल क्यों नहीं लगाया गया, यह जाहिर है। कानून निर्माता जानते थे कि पॉपुलेशन रजिस्टर भारत की 'राश्ट्रीय' आबादी का रजिस्टर नहीं है। इसीलिए नागरिकता कानून इसे पॉपुलेशन रजिस्टर कहता है। यह पीआर है, एनपीआर नहीं। तो फिर मंत्री के बयान में पीआर की जगह फर्जीवाड़े से एनपीआर क्यों आ गया? क्या वह इसका कारण बताएंगे?

मंत्री ने कहा, 'आबादी की जनगणना जनांकिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़े को इकट्ठा करने की समूची प्रक्रिया है। व्यक्तियों के विवरण गोप. नीय रखे जाते हैं।' वह आगे कहते हैं कि 'संग्रहित किए गए विवरणों का प्रमाणन बाद में नागरिकता कानून के तहत किया जाएगा औश्र संदिग्ध नागरि. कता वाले मामलों से उपयुक्त तरीके से निपटा जाएगा।' इस तरह मंत्री महोदय का यह आशय है, हालांकि वह स्पष्ट नहीं कहते, कि मौजूदा जनगणना नागरिकता कानून के तहत नहीं, बल्कि विशुद्ध जनगणना कानून के तहत है। लेकिन, जैसा कि विश्लेषण बताता है, मंत्री द्वारा यह कहा जाना कि जनगणना 2011 का काम पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना है और नागरिकता कानून के तहत सूचना का प्रमाणन बाद में किया जाएगा, पूरी तरह झूठ है। क्या यह जानने के लिए किसी नजूमी की जरूरत है? नहीं।

गृह मंत्रालय की जनगणना 2001 पर वेबसाइट ही इसका परदाफाश करती है। वेबसाइट पर जनगणना का मैनुअल कहता है, ''घरों को सूचीबद्ध करने, घरों की जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का फील्डवर्क एक ही जनगणना अधिकारी द्वारा एक साथ किया जा रहा है।'' और वेबसाइट पर फैक्स (अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न) के कॉलम में एक प्रश्न का जवाब कहता है, ''जनगणना

एक वैधानिक कार्य है जिसे जनगणना कानून 1948 और संबद्ध नियमों के तहत किया जाता है। एनपीआर नागरिकता कानून और नियमों के अंतर्गत निर्मित किया जाता है।'' यानी, स्वीकार्यतः, जनगणना 2011 नागरिकता कानून के अंतर्गत पीआर का निर्माण करता है। और इसमें दोनों ही कानूनों के तहत गणना की आवश्यकता होती हैः घरों की गणना जनगणना कानून के तहत और आबादी की जनगणना नागरिकता कानून के तहत। तो क्या मंत्री का यह बयान, कि जनगणना शुद्धतः जनगणना कानून के तहत आंकड़ा संग्रहण का काम है, क्रूा उनकी वेबसाइट पर दी हुई सामग्री से मेल खाता है?

अब नागरिकता कानूनों के तहत नियमों पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयानों को परखें। पीआर और एनआरआईसी के लिए आंकड़े नागरिकता कानून और नियमों के तहत इकट्ठा किए जाते हैं, जनगणना कानून के तहत नहीं। तो नागरिकता कानून आबादी की जनगणना को कुछ यूं परिभाषित करते हैंः सरकार घर–घर जाकर गणना करेगी जिसमें 'नागरिकता की स्थिति भी शामिल होगी'; और नागरिक पंजीकरण हा महापंजीयक (आरजीसीआर) नागरिता कानून के तहत गणना की अवधि और समय को अधिसूचित करेगा। पीआर के लिए संग्रहित किए जाने वाले विवरण भी नागरिकता कानूनों में दिए गए हैं। इस तरह पीआर की गणना के लिए नागरिकता कानून में सिफारिशें की गई हैं न कि जनगणना कानून में यानी मंत्री का यह दावा कि गणना जनगणना कानून के तहत की जा रही है और प्रमाणन का काम बाद में नागरिकता कानून के तहत किया जाएगा, पूरी तरह से असत्य है।

उनके बयान में यह बात कि महापंजीयक, जो कि जनगणना और नागरिकता कानूनों के तहत सर्वोच्च अधिकारी है, उसने अर्थ में भ्रम पैदा किया होगा कि वह नागरिकता कानून की ओर से इस काम में संलग्न है– अपने आप में भ्रामक है। इसमें इस तथ्य को छुपाया गया है कि आबादी के जो विवरण अभी जुटाए जा रहे हैं, वे वास्तव में नागरिकता कानूनों के तहत ही प्रस्तावित हैं, हालांकि उनका अनुपालन नहीं करते। लेकिन, मंत्री को यह बात माननी पड़ेगी कि मौजूदा जनगणना में प्रश्न संख्या 11, जिसमें नागरिकता घोषित करने की बात है, वह न सिर्फ नागरिकता कानून के खिलाफ है, बल्कि

कानूनन फर्जीवाड़ा है। यह एक कानूनी मामला है इसलिए जरा धैर्य से पढ़ें।

जनसंख्या के आंकड़ों के संग्रहण और प्रमाणन का प्रावधान नागरिकता कानून करता है जनगणना कानून नहीं। ऐसा नहीं होता कि सूचना फिलहाल जनगणना कानून के तहत इकट्ठा कर ली जाए और प्रमाणन बाद में नागरिकता कानून के तहत हो, जैसा कि मंत्री कहते हैं। मसलन, नागरिकता नियमों में एक प्रावधान को लें। नागरिकता नियम कहते हैं कि 'प्रमाणन की प्रक्रिया के दौरान संदिग्ध नागरिकता वाले व्यक्तियों के विवरण उपयुक्त टिप्पणी के साथ जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएं।' जब तक जनगणना अधिकारी को पहले से संदिग्ध नागरिकता के मामले संज्ञान में लेने के लिए न कहा गया हो, तब तक ऐसे मामले प्रमाणन के लिए आएंगे ही कहां? लेकिन, गणना के दौरान उनहें संदिग्ध नागरिकता वाले मामलों का संज्ञान लेकर उन्हें दर्ज करने के लिए कहने की बजाय देखें कि कैसे जनगणना का मैनुअल प्रशन संख्या 11 के समक्ष उन्हें क्या भरने के निर्देश देता है– 'प्रत्येक गणना किए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता उससे पूछी और दर्ज की जाएगी...कृपया उसके द्वारा घोषित की गई राष्ट्रीयता को दर्ज करें। इस बारे में उक्त व्यक्ति से कोई बहस न करें।' (देखें पैरा 5.21.1, आम दिशानिर्देश)। यानी एक ओर जहां नागरिकता कानून संदिग्ध नागरिकता के मामलों को पहचानने की बात करते हैं, वहीं नागरिकता नियमों के ही तहत जनगणना का मैनुअल कहता है कि 'व्यक्तियों के राष्ट्रीयता के दावे पर शक न करें; वे जो कहते हैं उसे दर्ज कर लें।' फिर कैसे संदिग्ध नागरिकता के मामले खोजे जाएंगे? जाहिर है मौजूदा गणना संदिग्ध नागरिकता को खोजने की मंशा नहीं रखती, बल्कि उन्हें दबाकर वास्तविक दिखाने की मंशा रखती है। क्या मंत्री अब इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अगर प्रश्न संख्या 11 को जनगणना के मैनुअल के साथ पढ़ा जाए, तो उनका झूठ उजागर हो जाता है?

यह चौंकाने वाली बात है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जनगणना के छह माह पहले भारत में आया हो या जनगणना के छह माह बाद तक यहां रूकने की मंशा रखता हो, वह मौजूदा जनगणना नियमों के तहत यहां का 'सामान्य निवासी' हो जाता है। जनगणना का धन्यवाद दें कि ऐसे लोग प्रश्न संख्या 11 की प्रतिक्रिया में खुद को भारतीय नागरिक बता सकते हैं और इससे भी

चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ऐसे तमाम लोगों को राष्ट्रीय पहचान–पत्र जारी करने का प्रस्ताव रखती है जबकि कानून के तहत राष्ट्रीय पहचान–पत्र की अनुमति सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है।

सोचें कि जैसे कसाब ने 26/11 को मुंबई में तबाही मचाई थी, वैसे ही कोई पाकिस्तानी आज भारत में घुस जाए और अगले छह महीने तक यहां रूकने की ठान ले, तो वह प्रश्न संख्या 11 की प्रतिक्रिया में खुद को भारतीय नागरिक घोषित करने के योग्य हो जाएगा और उसे राष्ट्रीय पहचान–पत्र भी मिल जाएगा। फिर वह भारतीय आतंकवादी होगा, पाकिस्तानी जेहादी नहीं। इंटेलीजेंस के स्रोतों के मुताबिक करीब 40,000 पाकिस्तानी इस तरह भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्होंने अपने पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिए हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में घुल–मिल गए हैं। जनगणना 2011 के तहत वे सभी 'सामान्य निवासी' हैं, खुद को भारतीय नागरिक घोषित कर सकते हैं और अब उन्हें राष्ट्रीय पहचान–पत्र मिल जाएंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि जनगणना अधिकारियों को निर्देश है कि वे उनसे बहस न करें जब वे अपनी राष्ट्रीयता भारतीय बता रहे हों, चुपचाप उसे लिख लें।

नोटः मौजूदा जनसंख्या की जनगणना बेशक एक राष्ट्रविरोधी उद्यम है। यह देश भर में ऐसे लाखों बम पैदा कर रहा है जो कभी भी फट सकते हैं। कानूनी मुहावरेबाजी में फंसे गृहमंत्री क्या इस बात को समझ रहे हैं?

(लेखक प्रसिद्ध राजनीतिक और आर्थिक टिप्पणीकार हैं।
ई–मेलः comm...@gurumurthy.net

कॉपीराइट और निजता

भारत में कॉपीराइट कानून 1957 में बना; इसे हाल ही में 2010 में संशोधित किया गया है। भारत अभी भले ही डब्ल्यूआईपीओ का सदस्य नहीं है, लेकि प्रस्तावित विधेयक में दिए गए प्रावधान इस कानून को डब्ल्यूआईपीओ अनुपालक बना देंगे। कॉपीराइट के संदर्भ में निजता पर नजर डालें, तो चार प्रमुख प्रश्न खड़े होते हैं:

1. डीआरएम प्रौद्योगिकियां निजता की उपेक्षा कैसे करती हैं और भारत के कानून में वे कौन से प्रावधान मौजूद हैं जो नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा करते हैं?

डिजिटल अधिकार प्रबंधन प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकें हार्डवेयर विनिर्माताओं, प्रकाशकों, कॉपीराइटधारों और व्यक्तियों के उपयोग के लिए विकसित की गई थीं ताकि वे डिजिटल कंटेंट और उपकरणों के उपयोग को सीमित कर सकें। डीआरएम प्रौद्योगिकी निजता को खतरा पैदा करती है। कॉपीराइट से सुरक्षित काम पर निगरानी रखने की अपनी क्षमता के चलते यह प्रौगिकी निजी सूचना को एकत्रित कर के होस्ट को भेज सकती है जिसकी जानक. ारी प्रयोक्ता को नहीं होती। होस्ट फिर इस जानकारी का इस्तेमाल विपणन या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कर पाने में सक्षम होता है। 1957 के कॉपीराइट कानून में डीआरएम के इस दुष्चक्र के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित कॉपीराइट विधेयक 2010 में दो प्रावधान प्रस्तावित हैं जो डीएमआर प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग न किए जाने के पक्ष में हैं और एक प्रावधान हैं जो स्पष्ट करता है कि डीआरएम प्रौद्योगिकी क्या है।

प्रस्तावित विधेयक

धारा 2 (गं) : अधिकार प्रबंधन की सूचना को परिभाषित करता है।
धारा 65ए : प्रौगिकीय उपायों का संरक्षणः कोई भी व्यक्ति जो सचेतन रूप से कोई प्लेट बनाता है या कोई प्लेट उसके पास मौजूद है जिससे किसी भी कार्य की प्रतियां तैयार की जा सकती हैं जिसका कॉपीराइट है, तो उसे दो साल तक की कैद हो सकती है। इस धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रौद्योगिकीय उपाय के दुरुपयोग में मदद करता है, उसे उक्त व्यक्ति के नाम, पता और अन्य प्रा. संगिक विवरणों का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए जिससे उसकी पहचान की जा सके।

धारा 65बीः अधिकार प्रबंधन सूचना का संरक्षणः कोई व्यक्ति जो बगैर किसी अनुमति के किसी भी अधिकार प्रबंधन सूचना को नष्ट करता है, वितरित करता है, उसकी प्रति बनाता है या प्रसारित करता है, उसे कैद का प्रावधान है।

सिफारिशः हम पाते हैं कि इस प्रावधान में एक व्यक्ति की निजता पर सवाल खड़ाहोता है क्योंकि यहां सूचना के व्यावसायीकरण के खिलाफ कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है और यदि कोई व्यक्ति यह पाए कि उसकी सूचना का इस्तेमाल बगैर उसकी सहमति/पूर्व ज्ञान के किया जा रहा है, तो उसके पास शिकायत करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया मौजूद नहीं है।

2. कॉपीराइट के तहत क्या किसी व्यक्ति के पास निजता में दखल को सामने लाने की सामर्थ्य है?
चूंकि डीआरएम तकनीकें अकसर स्पाईवेयर का प्रयोग करती हैं, तो यह जरूरी है कि एक व्यक्ति यह जानने की क्षमता रखता हो कि उसके कंप्यूटर सिस्टम पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। फिलहाल, प्रावधान 52(एसी) के तहत रिवर्स इंजीनियरिंग की अनुमति है। प्रावधान 52 का संशोधित संस्करण रिवर्स इंजीनियरिंग को मंजूरी दिए जाने के बारे में अस्पष्ट है।

मौजूदा विधेयकः

प्रावधान 52(एसी): कुछ ऐसी गतिविधियां जिन्हें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता, उनमें निम्न शामिल हैं: कंप्यूटर प्रोग्रामों का पर्यवेक्षण, अध्ययन या उनके कार्य करने की क्षमता का परीक्षण ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी भी प्रोग्राम के मूल तत्वों के रूप में कोई से सिद्धांत और विचार हैं, जबकि ऐसी गतिविधियां यह जानने के लिए भी जरूरी हैं कि जिस उद्देश्य से प्रोग्राम बनाया गया था वह पूरा हो रहा है या नहीं। निम्न गतिविधियां कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं मानी जाएंगीः
प्रस्तावित
प्रस्तावित संशोधन कहता हैः
52(1) निम्न गतिविधियां कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं मानी जाएंगीः
(1)(क) किसी भी साहित्यिक, नाटकीय, सांगीतिक या कला कर्म के साथ सही बर्ताव, जो कंप्यूटर प्रोग्राम न हो, जिनका उद्देश्यः
(2) निजी उपयोग, शोध सहित
(3) आलोचना या समीक्षा, इस रचना या किसी और रचना की।

कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रस्तावित विधेयक में बाहर रखा जाना इस बात को अस्पष्ट बनाता है कि आखिर किन परिस्थितियों में रिवर्स इंजीनियरिंग की अनुमति दी जाएगी।

सिफारिशः हम सिफारिश करते हैं कि स्पष्टता के लिए एक विशिष्ट उपबंध कानून में जोड़ा जाए जो इस बात का विवरण दे कि किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति अपनी निजता को बचाने के लिए किसी उत्पाद को रिवर्स इंजी. नियर कर सकता है।

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए यह प्रस्तावित विशिष्टता कैसे उनकी निजता की उपेक्षा करती है?
भारत में 1957 के कॉपीराइट कानून के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए

कोई प्रावधान नहीं है, इस तरह जब भी किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को जरूरत होगी, उसे हर बार कॉपीराइट धारक से अनुमति लेनी होगी। भारतीय संविधान और बर्न संधि के तहत भारत ने विकलांगों के अधिकारों को मान्यता देने के प्रति वचनबद्धता जाहिर की है।

प्रस्तावित विधेयक

कानून में प्रस्तावित संशोधन किसी भी कॉपीराइट की गई रचना के प्रक. ाशन के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करता है जो धारा 52(1)(ज्ञइ) के तहत दी गई विशिष्ट स्थिति से कवर न हो।

विधेयक एक बोर्ड का भी प्रस्ताव करता है जो आवेदक की पहचान को स्थापित कर इस बात की पुष्टि करेगा कि आवेदन सदिच्छा से किया गया है। जब एक विकलांग व्यक्ति डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच बनाना चाहता हो, ऐसे में अगर वह अज्ञात रहना चाहता हो तो इस कारण से यह संभव नहीं हो पाता, जो कि अधिकांश सामान्य व्यक्तियों को हासिल है।

सिफारिशः हम सिफारिश करते हैं कि प्रस्तावित विधेयक एक विकलांग व्यक्ति द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच बनाने में उसकी पहचान की पुष्टि के लिए पूरी प्रक्रिया से उसे गुजारने की कवायद और उसके द्वारा विनिमय के रिकॉर्ड को सीमित करे। इससे व्यक्ति की पहचान औश्र निजता संरक्षित रह सकेगी।

4. भविष्य क्या है?

कॉपीराइट और आईपी लगातार विकसित होते रहने वाले मसले हैं। देश लगातार इनसे जुड़े अपने कानूनों में संशोधन–परिवर्तन कर रहे हैं। सीमाओं के आर–पार लोों के बढ़ते प्रवाह के मद्देनजर भारतीयों पर उन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय नीतियों का असर पड़ेगा जो उनकी निजता में दखल देती हैं, मसलन सीमा पर की जाने वाली जांच या थ्री स्ट्राइक रिजीम।

प्रस्तावित विधेयक के उदाहरणः जालसाजीरोधी व्यापार समझौताः

एसीटीए एक प्रस्तावित विधेयक है जिसका उद्देश्य जालसाजी और

पायरेसी को रोकना है। इस वार्ता के सहभागी हैंः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, मेक्सिको, मोरक्को, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड। संधि प्रत्येक पक्षकार को उसकी कानूनी व्यवस्था के अनुरूप ऐसे उपाय अपनाने को बाध्य करेगी जो संधि के अनुप्रयोग के लिए अनिवार्य होंगे। हालांकि एसीटीए अभी गठित नहीं हुआ है, कई लोगों को चिंता है कि इससे निजता के उल्लंघन में आसानी होगी और ट्रेडमार्क व कॉपीराइटधारक निजी नागरिकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे और जिसमें कानूनी शिकायत की भी गुंजाइश नहीं होगी। इस कानून के तहत किसी के भी लैपटॉप, एमपी3 प्लेयर, सेलफोन आदि की जांच गैर–कानूनी तरीके से डाउनलोड किए गए या चुराए गए संगीत अथवा फिल्म के लिए की जा सकेगी।

सिफारिशः हम पाते हैं कि कॉपीराइट अतिक्रमण थ्री स्ट्राइक रिजीम या सीमापार तलाशी आदि की पुष्टि नहीं करता। एसीटीए और अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियां यह सवाल खड़ा करती हैं कि यदि भारत ने कुछ अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया, तो ये मानक बहुत कठोर होंगे जिनमें निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं होगी और जो व्यक्तियों की निजता के लिए खतरा खड़ा कर देंगे।